

कार्यालय तहसीलदार वैर (भरतपुर) राज.

रजिस्ट्रेशन सं. 12466

दिनांक 10/9/13

राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमति/कुमारी निधी ~~उर्फ साक्षी पुष्प~~ पुत्र/पुत्री श्री सुरारी लाल राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर में ग्राम/नगर कस्बा वैर का/की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती है ।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी निधी उर्फ साक्षी पुष्प राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.पं. 11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से पिछड़ा वर्ग (भावी) वर्ग/जाति के/की सदस्य है ।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी निधी उर्फ साक्षी पुष्प आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमिलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प. 7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है ।



सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की तहसीलदार सहित  
तहसील-वैर (भरतपुर)।

(राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थी)